न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 12000 पुनरीक्षण

1- बंशीराम
2- मस्तीराम
3- परमा
} पुत्रगण सुम्मेरा जाटव

4- मनीराम पुत्र दंगलिया जाटव

समस्त निवासीगण ग्राम जनोरी

तहसील नरवर जिला शिवपुरी -- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन --------- अनावेदक

अपर कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्र0क्र0 5198-99 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 30-11-99 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

R-276-I/2000
श्री ... अभिभाषक द्वारा ... को प्रस्तुत 18/2/2000
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनियमित एवं मनमाना होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि आवेदकगण के हित में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष प्रबन्ध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात भूमि का व्यवस्थापन किया गया था, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है ।

(3) यह कि आवेदकगण को सुनवायी एवं पक्ष समर्थन का उचित अवसर दिये बिना ही उनके विरुद्ध निष्कर्ष निकाले गये हैं । आवेदकगण को

---- 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 276–एक/2000 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 05/निगरानी/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 30/11/99 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	